सवाई माधोपुर स्टेशन पर एक्सप्रेस रेल गाड़ियों का ठहरना

2394. **डा० अबरार अहमद खान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जयपुर और राजस्थान के निवासियों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु राजधानी एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस, सर्वोदय एक्सप्रेस रेल गाड़ियों के सवाई माधोपुर स्टेशन पर रुकने की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या रेल यात्रियों को सुविधायें प्रदान करने, जिला मुख्यालयों को रेल गाड़ियों से जोड़ने के लिए कोई नये कार्यक्रम या योजनायें विचाराधीन हैं, और उन जिला मुख्यालयों के नाम क्या हैं जो रेल से जुड़े नहीं हैं और देश में राज्यों की ऐसी कौन सी राजधानियां हैं जो रेल सेवा से जुड़ी हुई नहीं हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महावीर प्रसाद) : (क) जी नहीं, क्योंकि वैकल्पिक फास्ट गाड़ी सेवाएं उपलब्ध हैं ।

(ख) श्रीनगर और गोवा तथा पूर्वोत्तर राज्यों (असम को छोड़कर) की राजधानियां रेल सेवाओं द्वारा सीधे नहीं जुड़ी हैं जो जिला मुख्यालय रेल द्वारा नहीं जुड़े हैं, उनकी सूची संलग्न है **(देखिये** परिशिष्ट 148, अनुपत्र सं० 105)

स्वीकृत नयी लाइन परियोजनाएं पूरी हो जाने पर निम्नलिखित जिला मुख्यालय जो इस समय रेल लाइन से नहीं जुड़े, हैं, रेल लाइन से जुड़ जायेंगे ।

—जम्मू और कश्मीर में ऊधमपुर ।

—केरल में अल्लेप्पी ।

—मध्य प्रदेश में रीवा और शिवपुरी ।

—राजस्थान में बूंदी ।

सोवियत संघ द्वारा वायुदूत सेवा के लिए हवाई जहाज देने की पेशकश

2395. **श्री राम नरेश यादव :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ ने वायुदूत के अन्तर्गत संचालन के लिये हमारे वर्तमान हवाई जहाजों के स्थान पर अपने कुछ हवाई जहाज देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो इन हवाई जहाजों के नाम क्या-क्या हैं तथा इनमें बैठने की क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन हवाई जहाजों में अपेक्षाकृत अधिक ईंधन की खपत होती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा क्या है तथा इन हवाई जहाजों के संबंध में सरकार का क्या निर्णय है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) और (ख) मैसर्ज एविएकसपोर्ट ने वायुदूत को 120 सीट वाले याक-42 तथा 17 सीट वाले ए०एन०-28 विमान बेचने की पेशकश की है ।

(ग) और (घ) याक-42 विमान की बिक्री की पेशकश तथा इसके कार्य-निष्पादन संबंधी परिणामों पर वायुदूत द्वारा विचार किया जा रहा है ।

उड़ान न भर पाने पर टिकट की राशि का लौटाया जाना

2396. **श्री अजीत जोगी :**
श्री सोहन लाल धूसिया :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स के ओ०के० टिकट वाले यात्री

यदि किसी कारणवश हवाई अड्डे पर विलम्ब से पहुंचते हैं या अपनी यात्रा नहीं कर पाते हैं तो काफी अधिक राशि काट कर उन्हें पैसे लौटा दिये जाते हैं जबकि अन्य देशों की एयरलाइनों द्वारा ऐसे अवसरों पर पूरे पैसे लौटा दिए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान नियमों का संशोधन करके पूर्ण राशि लौटाए जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिकांश उड़ानों के लिए लम्बी प्रतीक्षा सूची होती है और यदि ओ०के० टिकट वाला कोई यात्री यात्रा के लिए नहीं आता तो एयरलाइन्स को कोई हानि नहीं होती क्योंकि उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची वाले यात्री यात्रा कर लेते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी स्थिति में पूरी राशि न लौटाये जाने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) इंडियन एयरलाइंस अन्तर्देशीय क्षेत्रों पर ओ० के० टिकट वाले ऐसे यात्रियों को जो हवाई अड्डे पर विलंब से पहुंचते हैं या यात्रा नहीं कर पाते हैं, उन्हें पैसे लौटाए जाने से पहले किराए का कुछ निर्धारित भाग काट लेते हैं । कुछ एयरलाइनें जैसे बांगलादेश बेमन और मलेशियाई एयरलाइन अपने अंतर्देशीय क्षेत्रों पर उनके द्वारा जारी किए गए टिकटों पर रद्दकरण प्रभार वसूल करते हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) अस्थायी और जाली टिकटों को रोकने की दृष्टि से और यात्रा करने वाली जनता के भारी वर्ग को बेहतर आरक्षण सेवाओं की व्यवस्था के लिए अंतर्देशीय सेवाओं पर रद्दकरण प्रभार वसूली निर्धारित की गयी है । यदि रद्दकरण/नोशो प्रभार को वसूल नहीं किया जाए तो इसके परिणाम-स्वरूप कई वास्तविक यात्री पुष्टि त सीटों से वंचित हो जाएंगे और इंडियन एयरलाइंस को राजस्व की हानि होगी ।

Draft transfer policy in I.T.D.C.

2397. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to refer to answer to Unstarred Question 3481 given in the Rajya Sabha on the 9th December, 1987 and state the brief summary of the comments offered by each union association on the draft transfer policy of Executives and Non-executives of I.T.D.C.; and those which were accepted by the Management for inclusion in the said rules, before getting the approval of the Board of Directors separately?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI SHIVRAJ PATIL): A statement showing the draft clause of transfer policy of executives and non-executives of ITDC, comments of the Unions/Associations thereon and the clause amended taking into account the comments of Union/Associations is given at Annexure (*See* Appendix CXLVIII, Annexure No. 106)

Appointment in I.T.D.C.

2398. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to refer to answer to Unstarred Question 4104 given in the Rajya Sabha on the 31st August, 1988 and state:

(a) what are the details of persons and their scales of pay, job-description and responsibilities, alongwith their basic qualifications and experience who have been appointed by the I.T.D.C. Headquarter between January and September, 1988;

(b) whether it is also a fact that in most of the cases the appointments in I.T.D.C. are resorted to just to oblige/favour some influential persons, rather than their actual needs in the organisation;